

अनुदान संख्या 41 - पेंशन
GRANT No. 41 - PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
राजस्व:	Revenue:				
<i>प्रभारित—</i>	<i>Charged-</i>				
मूल	Original	440,00,00	470,00,00	465,47,13	-4,52,87
पूरक	Supplementary	30,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>				शून्य Nil
<i>स्वीकृत—</i>	<i>Voted-</i>				
मूल	Original	79801,00,00	93250,00,00	92895,68,18	-354,31,82
पूरक	Supplementary	13449,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के अंतर्गत प्रावधान मुख्य रूप से पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन का सारांशिकृत मूल्य वितरण, भविष्य निधि में अंशदान, जमा संबद्ध बीमा योजना – सरकारी भविष्य निधि, केंद्र सरकार कर्मचारी बीमा योजना, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए था और इसमें भारत की समेकित निधि का प्रभारित पेंशन शामिल है और जिसे बाद में संविधान के अनुच्छेद 290 के तहत राज्य सरकारों से वसूल किया जाता है।

2. अनुदान के प्रभारित भाग में, कुल बचतें (₹452.87 लाख) मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹3000.00 लाख के पूरक

Notes and comments

1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions, Gratuities, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme - Government Provident Funds, Central Government Employees Insurance Scheme, Defined Contribution Pension Scheme and include Pensions charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution.

2. In the charged portion the grant, the overall savings (₹452.87 lakhs) constituted 15 percent of the

विनियोग का 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का लगभग 1 प्रतिशत थीं।

supplementary appropriation of ₹3000.00 lakhs obtained in March, 2025 and about 1 percent of the total sanctioned appropriation.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"			
पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	Pensions and other Retirement Benefits			
मू.	O.	43990.00		
			46990.00	-445.27
पू.	S.	3000.00		

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का विनियोग पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Appropriation of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) "सिविल" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:—

(II) Under "Civil" savings occurred under the following heads:-

(का) "पेंशन का सारांशिकृत मूल्य - साधारण पेंशन" - ₹701.47 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(A) "Commuted Value of Pensions - Ordinary Pensions" - saving of ₹701.47 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹3500.00 lakhs); and

(खा) "ग्रेच्युटी - साधारण पेंशन" - ₹653.58 लाख की बचत (₹3700.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

(B) "Gratuities - Ordinary Pensions"- saving of ₹653.58 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹3700.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims from Ministries/Departments.

3. उपर्युक्त बचतें "सिविल" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:—

3. The above savings were partly offset by excess under "Civil" under the following heads:-

(का) “अधिर्वर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते – साधारण पेंशन” – ₹743.86 लाख का अधिक व्यय (₹2000.00 लाख के पूरक विनियोग सहित ₹5600.00 लाख के कुल स्वीकृत विनियोग की तुलना में) अधिक स्कॉलों की प्राप्ति के कारण हुआ।

(खा) “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान – सरकारी अंशदान” – ₹509.82 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के पूरक विनियोग सहित ₹3699.00 लाख के कुल स्वीकृत विनियोग की तुलना में) मंत्रालयों/विभागों से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के स्वीकृत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(A) “Superannuation & Retirement Allowances - Ordinary Pensions” - excess of ₹743.86 lakhs (against the total sanctioned appropriation of ₹5600.00 lakhs including supplementary appropriation of ₹2000.00 lakhs) was due to receipt of more scrolls.

(B) “Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme under National Pension System - Government Contribution” - excess of ₹509.82 lakhs (against the total sanctioned appropriation of ₹3699.00 lakhs including supplementary appropriation of ₹1000.00 lakhs) was due to receipt of more claims from Ministries/Departments.

4. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2071” पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	Major Head “2071” Pensions and other Retirement Benefits			
मू.	O.	7975700.00		
पू.	S.	1344900.00		
		9320600.00	9286625.60	-33974.40
मुख्य शीर्ष “2235” सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head “2235” Social Security and Welfare	4400.00	2942.58	-1457.42

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹40.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2071” – “सिविल – पेंशन का सारांशिकृत मूल्य – साधारण पेंशन” के अंतर्गत ₹486000.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2025 में ₹10000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹496000.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹31786.84 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) मंत्रालयों/विभागों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2071” – “सिविल” के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:—

(का) “अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते – साधारण पेंशन (एआईएस)” – ₹120000.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2025 में ₹10000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹130000.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹986.51 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(खा) “ग्रेच्युटी – साधारण पेंशन” – ₹669200.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2025 में ₹100000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹769200.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹39526.70 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(गा) “परिवार पेंशन” –

(क) “परिवार पेंशन” – ₹1136800.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2025 में ₹106200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1243000.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹46970.55 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया;

(ख) “साधारण पेंशन (एआईएस)” – ₹10000.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2025 में ₹1000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹11000.00

(I) Provision of ₹40.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) Under Major Head “2071” - “Civil - Commuted value of Pensions - Ordinary Pensions” - the original provision of ₹486000.00 lakhs was augmented to ₹496000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹10000.00 lakhs in March, 2025. However, there was a saving of ₹31786.84 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less claims from Ministries/Departments.

(III) Supplementary grant obtained under Major Head “2071” - “Civil” remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each: -

(A) “Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions (AIS)” - the original provision of ₹120000.00 lakhs was augmented to ₹130000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹10000.00 lakhs in March, 2025 which, however, remained unutilised to the extent of ₹986.51 lakhs;

(B) “Gratuities - Ordinary Pensions” - the original provision of ₹669200.00 lakhs was augmented to ₹769200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹100000.00 lakhs in March, 2025 which, however, remained unutilised to the extent of ₹39526.70 lakhs;

(C) “Family Pensions” -

(a) “Family Pensions” - the original provision of ₹1136800.00 lakhs was augmented to ₹1243000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹106200.00 lakhs in March, 2025 which, however, remained unutilised to the extent of ₹46970.55 lakhs;

(b) “Ordinary Pensions (AIS)” - the original provision of ₹10000.00 lakhs was augmented to ₹11000.00 lakhs by obtaining

लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹100.29 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया; और

supplementary grant of ₹1000.00 lakhs in March, 2025 which, however, remained unutilised to the extent of ₹100.29 lakhs; and

(घा) “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान – सरकारी अंशदान” – ₹1044990.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2025 में ₹55000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1099990.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹20702.49 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(D) “Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme under National Pension System - Government Contribution” - the original provision of ₹1044990.00 lakhs was augmented to ₹1099990.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹55000.00 lakhs in March, 2025 which, however, remained unutilised to the extent of ₹20702.49 lakhs.

बचतें उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above five heads were due to receipt of less claims from Ministries/Departments.

(IV) मुख्य शीर्ष “2071” – “सिविल” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head “2071” - “Civil” savings occurred under the following heads:-

(का) “पेंशन का सारांशिकृत मूल्य – साधारण पेंशन (एआईएस)” – ₹1487.84 लाख की बचत (₹14000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) “Commutated value of Pensions - Ordinary Pensions (AIS)” - saving of ₹1487.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs);

(खा) “ग्रेच्युटी – साधारण पेंशन (एआईएस)” – ₹942.56 लाख की बचत (₹10500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) “Gratuities - Ordinary Pensions (AIS)”- saving of ₹942.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs);

(गा) “परिवार पेंशन – नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना – एनपीएस द्वारा कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/विकलांगता पर अतिरिक्त राहत – साधारण पारिवारिक पेंशन” – ₹973.00 लाख की बचत (₹22000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(C) “Family Pensions - Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by New Defined Contribution Pension Scheme (NPS) Ordinary Family Pensions” - saving of ₹973.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22000.00 lakhs);

(घा) “छुट्टी नकदीकरण लाभ” –

(D) “Leave Encashment Benefits” -

(क) “साधारण पेंशन” – ₹19348.42 लाख की बचत (₹440000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) “Ordinary Pensions” - saving of ₹19348.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹440000.00 lakhs); and

(ख) “साधारण पेंशन (एआईएस)” – ₹1047.87 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) “Ordinary Pensions (AIS)”- saving of ₹1047.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs).

बचत उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ड) “विधायकों- संसद सदस्यों को पेंशन” – ₹1195.85 लाख की बचत (₹8775.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम स्क्रॉल प्राप्त होने के कारण हुई;

(V) मुख्य शीर्ष “2235” – “अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम – जमा संबद्ध बीमा योजना – सरकारी पीएफ – सामान्य भविष्य निधि की जमा संबद्ध बीमा संशोधित योजना” के अंतर्गत ₹1380.09 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रालयों/विभागों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹643.21 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत और 33 प्रतिशत थी।

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “2071” – “सिविल” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) “अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ता – साधारण पेंशन” – ₹117215.35 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹302700.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹3817100.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के संबंध में पेंशनरी प्रभार – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से वसूल किए जाने वाले पेंशनरी प्रभार” – ₹15006.87 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹60000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹540000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अधिक स्क्रालों की प्राप्ति के कारण हुआ।

Savings under the above five heads were due to receipt of less claims from Ministries/ Departments.

(E) “Pensions to Legislators - Members of Parliament” - saving of ₹1195.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8775.00 lakhs) was due to receipt of less scrolls.

(V) Under Major Head “2235” - “Other Social Security and Welfare Programmes - Deposit Linked Insurance Scheme - Government P.F. - Deposit Linked Insurance Revised Scheme of General Provident Funds” - saving of ₹1380.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Ministries/Departments.

(VI) Under two heads savings of ₹643.21 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 15 percent and 33 percent of the sanctioned provision.

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head “2071” - “Civil” - under the following heads:-

(A) “Superannuation & Retirement Allowances - Ordinary Pensions”- excess of ₹117215.35 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3817100.00 lakhs including supplementary grant of ₹302700.00 lakhs obtained in March, 2025); and

(B) “Pensionary Charges in respect of retirees/deceased employees of Government of NCT Delhi - Pensionary Charges recoverable from Govt. of NCT Delhi” - excess of ₹15006.87 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹540000.00 lakhs including supplementary grant of ₹60000.00 lakhs obtained in March, 2025).

Excess under the above two heads was due to receipt of more scrolls.